राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, पीठ जोधपुर

अपील संख्या 73/2007

गोपाल दास रंगा —अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये उप शासन सचिव, शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक (माध्यमिक शिक्षा) शिक्षा विभाग, राजस्थान, बीकानेर।
3. उप निदेशक (प्रशासन), माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर।
4. जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक शिक्षा), शिक्षा विभाग, बीकानेर।

—प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 21.03.2007
आदेश की दिनांक : 21.08.2024

अपीलार्थी की ओर से : श्री प्रमेन्द्र बोहरा, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री यशवंत मेहता, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :— लेखराज तोसावड़ा, सदस्य
असलम मेहर, सदस्य

आदेश

अपीलार्थी ने इस अपील में प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 09.08.2004 (अनुलग्नक–5) को अपास्त करने एवं अपीलार्थी से कनिष्ठ कर्मचारियों को दिए गए वेतन के समान काल्पनिक वेतन अभिनिर्धारित करने एवं इससे संबंधित समस्त पारिणामिक परिलाभ दिनांक 25.05.1995 से 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ उसे नियमित करने की तिथि तक अनुज्ञेय किए जाने का अनुतोष चाहा है।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग में दिनांक 09.01.1980 को सहायक कार्मिक के पद पर नियुक्त हुआ था। अपीलार्थी की सेवाएं हमेशा संतोषप्रद रही है तथा उसका सेवाभिलेख भी अच्छा है। अपीलार्थी की पदोन्नति दिनांक 24.03.1995 को एलडीसी (कनिष्ठ लिपिक) के पद पर की गई। अपीलार्थी का आगे यह भी कथन है कि उससे कनिष्ठ कार्मिक श्री सूरज रतन व्यास को दिनांक 25.05.1995 से काल्पनिक वेतन का लाभ दिया गया है, जबकि अपीलार्थी के मामले में ऐसा नहीं किया गया है। अपीलार्थी ने व्यथित होकर माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका संख्या 5610/1993 प्रस्तुत की। जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने अपने आदेश

दिनांक 16.05.1984 के द्वारा प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिए थे कि अपीलार्थी को दिनांक 25.05.1995 से काल्पनिक वेतन का लाभ प्रदान किया जावे। अपीलार्थी ने यह भी अंकित किया कि उसने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय के पश्चात् प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अनेक बार अभ्यावेदन प्रस्तुत किए तथा दिनांक 25.05.1995 से काल्पनिक वेतन का लाभ देने की मांग की, परन्तु प्रत्यर्थी विभाग ने इस पर कोई विचार नहीं किया। यह भी अंकित किया कि अपीलार्थी से कनिष्ठ कार्मिक श्री सूरज रतन व्यास को माननीय उच्च न्यायालय के उपरोक्त विनिश्चय की रोशनी में दिनांक 08.05.1990 से काल्पनिक वेतन का लाभ प्रदत्त किया जा चुका है, परन्तु अपीलार्थी को अब तक उपरोक्त परिलाभ से वंचित रखा गया है। साथ ही राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, चलपीठ जोधपुर द्वारा अपील संख्या 89/2002 ओम सिंह बनाम निदेशक, माध्यमिक शिक्षा एवं अन्य जो कि समान प्रकृति का प्रकरण है, में दिनांक 17.10.2006 को पारित आदेश की छायाप्रति प्रस्तुत करते हुए इस प्रकरण में पारित निर्णय के अनुसार अपीलार्थी को भी समस्त अनुषांगिक परिलाभ प्रदान किए जाने की प्रार्थना की है।

अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 09.08.2004 (अनुलग्नक–5) को अपास्त करते हुए अपीलार्थी से कनिष्ठ कर्मचारियों को दिए गए वेतन के समान वेतन अभिनिर्धारित किए जाने एवं इससे संबंधित समस्त पारिणामिक परिलाभ दिनांक 25.05.1995 से 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ उसे नियमित करने की तिथि तक अनुज्ञेय किए जाने का आदेश फरमाया जावे।

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से अपील का जवाब प्रस्तुत किया गया है जिसमें यह अंकित किया गया है कि अपीलार्थी ने समान कार्य समान वेतन की मांग की है जबकि यह सिद्धांत इस प्रकरण में लागू नहीं होते है, क्योंकि सूरज रतन व्यास की चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से कनिष्ठ लिपिक के पद पर पदोन्नति माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार दिनांक 08.05.1990 से मानी गई है, जबकि अपीलार्थी की चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से कनिष्ठ लिपिक के पद पर पदोन्नति दिनांक 24.03.1995 कार्यग्रहण किया है। इस प्रकार कनिष्ठ लिपिक के पद पर सूरज रतन व्यास अपीलार्थी से वरिष्ठ है, न कि कनिष्ठ, जैसा कि अपीलार्थी ने अपनी अपील में वर्णित किया है। यह तथ्य पूर्णतया बेबुनियाद एवं

आधार हीन होने के कारण अस्वीकार है। अपीलार्थी की अपील समयबाधित (Timebarred) है। अतः अपील खारिज किए जाने योग्य है।

हमने अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् अधिवक्ता की अपील पर बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया गया।

उभय पक्ष की बहस एव पत्रावली के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग में दिनांक 09.01.1980 को सहायक कार्मिक के पद पर नियुक्त हुआ था एवं अपीलार्थी की पदोन्नति दिनांक 24.03.1995 को एलडीसी (कनिष्ठ लिपिक) के पद पर की गई। अपीलीर्थी को उससे कनिष्ठ सूरज रतन व्यास के समान दिनांक 25.05.1995 से काल्पनिक वेतन का लाभ नहीं दिया गया है। माननीय उच्च न्यायालय ने भी रिट याचिका संख्या 5610/1993 में पारित निर्णय दिनांक 16.05.1994 में प्रत्यर्थी विभाग को यह स्पष्ट निर्देश दिए थे कि अपीलार्थी का प्रकरण निर्णय की दिनांक से दो माह के भीतर विचार कर नियमानुसार कार्यवाही की जावे, जिसकी अनुपालना में अपीलार्थी की दिनांक 24.03.1995 को पदोन्नति की गई। ऐसी स्थिति में हमारे विनम्र मत अपीलार्थी दिनांक 25.05.1995 से काल्पनिक वेतन का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जाते हैं कि अपीलार्थी को उससे कनिष्ठ कार्मिक सूरज रतन व्यास के समान दिनांक 25.05.1995 से काल्पनिक वेतन का लाभ दिया जावे तथा अपीलार्थी का नाम वरिष्ठता सूची में सही स्थान पर निर्धारित किया जावे। इस आदेश की पालना आदेश की प्रति प्राप्त होने के दो माह में सुनिश्चित की जावे।

(असलम मेहर)
सदस्य

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य